

वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक, गुरुग्राम
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057

क्रमांक:
सेवा में,

दिनांक:

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०),
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सी-18, वन भवन, सैक्टर-6,
पंचकूला, हरियाणा।

विषय:-

Diversion of 0.1968 hac. of Forest Land for laying of Natural Gas Pipeline from Palra Village to T point of Aklimpur Tikri road near Jharsa Village along with Palra Nurpur Jharsa road, under Forest Division & Distt. Gurugram.(Proposal No. FP/HR/Pipeline/48458/2020)

सन्दर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-9650/265-66 दिनांक 22.01.2021

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सन्दर्भांकित पत्र के निरन्तर में प्रस्तावित केस में प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम बनाकर पत्र के साथ चैक लिस्ट संख्या 17, 18, 19, 20 तथा प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्थल का डी.जी.पी.एस. मैप पत्र के साथ आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाता है। प्रस्तावित स्थल पर कोई वृक्ष/पौधे बाधित नहीं है। प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी दस्तवेज तथा के.एम.एल. फाईल आनलाईन अपलोड कर दिये गये हैं।

संलग्न/उपरोक्त

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।

पृ० क्रमांक/ 1147-48 -C

दिनांक/ 17/02/21

एक प्रति :-

1. मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुरुग्राम को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. वन राजिक अधिकारी, सोहना को उनके पत्र क्रमांक 386 दिनांक 01.10.2020 के सन्दर्भ में भेजकर लिखा जाता है कि प्रस्तावित केस में 394 पौधे लगाये जायेंगे तथा प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम हेतु दमदमा सै० 4 व 5 में चयनित किये गये स्थल में ही प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम बनाई गई है।

उप वन संरक्षक,
गुरुग्राम।